ज्यादा मालूम होती है कि करघे वाले और चुंगी जमा करने वाले लोग आपस में षड़यंत्र करके राज्य का पैसा ले लेंगे।

इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि इस वित्त को आप सुधारें। ऐसी गड़बड़ हो सकती है हर एक टैक्स में। मेरा मन तो हिल गया है कि हो सकता है कि हर एक टैक्स के मामले में, हर एक खर्च के मामले में 20, 30, 40 या 50 सैकड़े की गलती हो। हो सकता है कि राज्य का वित्त बिल्कुल सड़ गया हो और यह राज्य अपने अन्तिम दिनों तक पहुंच गया हो। मेरा मन तो इतना हिल गया है इस टैक्स के बाद से। मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको सुधारें।

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): Sir, the points that have been made by Dr. Lohia are the same points which he had made earlier when he had referred this matter to the Deputy Prime Minister and written to you. A long statement was laid earlier on the Table of the House by the Deputy Prime Minister. In this statement he has explained the detailed position and he has come to this conclusion; "After looking into the matter from all possible angles, I am satisfied that there is no underestimation of revenue receipt as it is based on the figures of actual clearance of sized superfine and fine yarn in the year 1966-67". But, certainly, the remarks made by Dr. Lohia now will be brought to the notice of the Deputy Prime Minister later.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इससे सन्तुष्ट हो जाते हैं ?

Mr. Speaker: असन्तुष्ट कैसे होऊंगा? What else can I do ?

डा० राम मनोहर लोहिया : आप इस मामलेको पी० ए० सी० को क्यों नहीं देते। यह एक तरीका हो सकता है।

श्री मधु लिमये : उसको दे दीजिये और इस बात को मान लीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपका पचा उड़ा रहे हैं, बस यही खाली मामला है।

Mr. Speaker: I will be very happy if it is revolved.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या दे दिया है पी० ए० सी० को ?

Mr. Speaker: No.

12.40 hrs.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1964-65

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): I beg to present a statement showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1964-65.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 115 और नियम 308 की ओर दिलाना चाहता हूं। बात यह है कि एक्सेस ग्रांट के लिए अगर कोई मन्त्री आता है तो इसके बारे में यह परिपाटी है कि इस तरह की चीज को बहुत खराब माना जाता है। एक विद्वान लेखक लिखता है :

> "Exceeding a grant is a serious irregularity. As such, when an excess expenditure has been incurred, the Government should be under some compulsions to see its early regularisation so that the Public Accounts Committee may be able to suggest correctives for future."

अभी जो डाक्टर लोहिया ने सवाल उठाया था उससे यह जुड़ा हुआ है। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पी० ए० सी० को मन्त्री महोदय ने सूचना दी थी। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं

Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1964-65.

साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो सवाल इन्होंने उठाया है...

श्री रघवीर सिंह (रोहतक) : जो चीज पास हो गई है उसको ये इस तरह से कैसे उठाते जा सकते हैं ?

श्री मधु लिमये : प्रश्न यह है कि क्या पी० ए० सी० को इसकी इत्तला दी गई थी ? उसी तरह जो डा० साहब ने मामला उठाया है अभी उस पर आप अभी फैसला बेशक न दीजिये लेकिन इस पर आप सोचिये । एक्साइज डयूटी के मामले में एक रकम दिलाई गई है है और कहा गया है कि इतनी आमदनी होगी लेकिन असल में चार पांच गुना से ज्यादा वह होने वाली है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पी० ए० सी० की सलाह इसमें ली जाएगी ?

Shri K. C. Pant: First I must explain that the excess in the statement constitute only 0.14 per cent of the total amount sanctioned in the capital account.

श्री मधु लिमये : एक पैसा चाहे हो, वह मतलब नहीं है । कुछ नियम होते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : अगर एक पैसा प्रतिशत भी बढ़ जाता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है ।

Shri K. C. Pant: That is why we have brought it before the House.

डा० राम मनोहर लोहिया : दूकानें बन्द हो जाती हैं दिवाले निकल जाते हैं ।

श्री मधु लिमये : इनका जल्दी निकलने वाला है ।

Shri K. C. Pant: The excesses have been scrutinised by the Public Account's Committee and the Committee has in paragraphs 41, 1.1.5 and 2.1.7 of their Sixty-nineth, Seventy-second and Seventy-first Reports repsectively recommended their regularisation.

12.43 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

FIFTH REPORT

Shri Dattatraya Kunte (Kolaba): I beg to present the Fifth Report of the Public Accounts Committee on Action taken by Government on the recommendations of the Public Accounts Committee contained in their Forty-first, Forty-second and Fifty-fourth Reports (Third Lok Sabha) relating to Civil Accounts.

ESTIMATES COMMITTEE

(i) TWELFTH REPORT

Shri P. Venkatasubbaiah (Nandyal): I beg to present the Twelfth Report of the Estimates Committee on the Ministry of Defence—Defence Research and Development Organisation.

(ii) THIRTEENTH REPORT

Shri P. Venkatasubbaiah: I beg to present the Thirteenth Report of the Estimates Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in the Seventy-fourth Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the Ministry of Home Affairs—Directorate of Manpower and Institute of Applied Manpower Research, New Delhi.

12.45 hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SECOND REPORT

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I beg to present the Second Report of the Committee on Public Undertakings on Action taken by Government on the recommendations contained in the Thirty-fifth Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha)—Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal.

Shri Ranga (Srikakularn): When was the Thirty-fifth Report submitted and how long did it take?

Shri D. N. Tiwary: It was submitted by the Estimates Committee before this Committee came into being.